कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर

क्रमांक :- संस्था/संविदा/2023/848 दिनांक : 13.09.2023

विज्ञप्ति

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर के पत्रांक अराज / यूटीबी / 2023 / 392 दिनांक 04.08.2023 के द्वारा फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पदों को यू.टी.बी. से भरने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक संस्था/संविदा/2023/770 दिनांक 10.08.2023 द्वारा जारी कर दिनांक 17.08.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे ।

श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर के पत्रांक अराज / यूटीबी / 2023 / 333 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा नवीन व पुराने जिलो की चयन / वरियता सूचि पृथ्क पृथ्क जिलेवार जिलेवार तैयार की जानी है। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक संस्था / संविदा / 2023 / 770 दिनांक 10.08.2023 जिसके द्वारा 17.08.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, को निरस्त किया जाता है ।

फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु योग्यताधारी अभ्यार्थियों से निम्नांकित पदों हेतु दिनांक 14.09.2023 से 18.09.2023 को सॉय 5.30 बजे तक गुगल लिंक https://forms.gle/1GEKJDk2xrNXBB7CA के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	फार्मासिस्ट	29
2.	लैब टैक्नीशियन	30
3.	सहायक रेडियोग्राफर	20

Rajasthanjobportal.com

गुगल लिंक दिनांक 18.09.2023 को सॉयः 5.30 बजे स्वतः ही निष्क्रय हो जावेगा। आफलाइन / ई-मेल के माध्यम से कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है:-

1. चयन में स्थानीय अभ्यार्थियों जिनमें सीकर व नीमकाथाना जिले के अभ्यार्थियों को अलग अलग वरीयता दी जाएगी।
2. रिक्त पदों की अधिकतम सीमा तक दिनांक 31.03.2024 अथवा पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जावेगा।
3. यू.टी.बी. आधार पर भर्ती राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा समय समय पर संशोधित नियम तथा अन्य भर्ती नियम मय अनुभव आधारित बोनस अंक के अनुसार की जावेगी।
4. नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
5. कोरोना अवधि 22.03.2020 से 13.02.2022 तक राज्य सरकार की योजनाओं में संविदा / तदर्थ अस्थाई आधार पर कार्य किया है उन अभ्यार्थियों को 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बोनस अंक 15, दो वर्ष या इससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम पर 20, तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि में कार्यरत रहे अभ्यार्थियों को 30 बोनस अंक देय है।
6. कोरोना अवधि को छोडकर जिन अभ्यार्थियों ने संविदा / तदर्थ अस्थाई आधार पर कार्य किया है उन्हें एक वर्ष की सेवा पर 10, दो वर्ष पर 20 तथा तीन वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर 30 बोनस अंक देय होंगे।
7. अभ्यार्थियों को तदनुसार ही स्वंय को बोनस अंको का आंकलन कर ऑनलाइन फार्म में अंकित करना होगा। निजी संस्थानों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देय नहीं होंगे।
8. यू.टी.बी. भर्ती राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा वर्ष 2023 में उक्त पदों हेतु जारी विज्ञप्तियों के अन्तर्गत की जावेगी।
9. पदों में कमी / वृद्धि करने, किसी अन्य बिन्दु पर अन्तिम निर्णय का अधिकार कमेटी को होगा ।

(डा निर्मल सिंह)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर